न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 01/272

तारीख दायर :- 28/12/2017

[illegible]

1. सुरेश चन्द पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

—वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

— प्रतिवादीगण।

॥ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ॥

उपस्थिति :—

1. श्री गोपीराम शर्मा एडवोकेट वादी।

2. कोई उपस्थित नही एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :—

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में आराजी खाता संख्या 229 आराजी खसरा नमबर 101 रकबा 1.26 हैक्टर स्थित चली आती है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवादित हाल आराजी के वादी काबिज काश्तकार खातेदार चला आता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 1.26 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 84/8 मिन 05 बीघा से बना है। जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 से प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवादित आराजी वादी संख्या एक को सरकार द्वारा ऑवटित हुई थी और मौके पर उसी समय विवादित आराजी पर दखल दिया गया था और विवादित आराजी का तितम्बा भी दखलनामा पर्चा में अंकित कर दिया गया था। ओर वादी संख्या एक को मौके पर दखलनामा के अनुसार कब्जा मौके पर उसी समय करा दिया गया था। बरोज आवॅटन से वादी संख्या एक अपनी ऑवटन शुदा विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्तकार करता आ रहा है। वादी शान्ति पूर्वक विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। जिस विवादित आराजी का वादी काबिज काश्तकार चला आता है। आज भी मौके पर विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादी की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है।

विवादित आराजी पर वक्त आवॅटन ही वादी संख्या एक को मौके पर तरफ उतर साइड में दखल दिया गया। और उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था। जो नक्शा तितम्बा मौका कब्जा अनुसार सही अंकित किया गया था। वादी बरोज ऑवटन से ही विवादित आराजी पर उक्तानुसार काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है।

उपरोक्त विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी वक्त आवॅटन उबड खाबड थी जिसको वादी ने अपनी बिस्मानी लागत मेहनत से उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बनाया है। आज भी मौके पर वादी अपनी विवादित आराजी तरफ उतर साईड में काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। और मौके पर काबिज है। वादी ग्रमीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। जो कानून की जानकारी नही रखते है जब वादी दिनांक 15.09.2017 को अपनी उपरोक्त विवादित आराजी पर किसान केडिट कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

की फाईल बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया की तुम्हारी आराजी के नक्शा में तितम्बा गलत कटा हुआ है। जबकि मौके पर तुम तरफ उतर साईड उसके बाद हाल खसरा नम्बर 103 के तरफ दक्षिण में एक खसरा नम्बर 99 व 100 के उतर में काबिज है। जिस पर वादी को उक्त गलत इन्द्राज नक्शा की जानकारी हुई विवादित आराजी बाबत जो इन्द्राज हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा तितम्बा में दर्ज किया हुआ है। वह इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है एक वादी के हकूको के मुकाबिले बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत इन्द्राज हाल नक्शा तितम्बा को कलमजन किया जाकर तरफ उतर साईड के मौका कब्जा अनुसार व दखलनामा अनुसार जिस गलत इन्द्राज हाल नक्शा तितम्बा वो वादी कलमजन कराकर हाल नक्शा में दर्ज ख.नं. 104 के स्थान पर ख.नं. 101 एवं ख.नं. 101 के स्थान पर ख. नं. 99 व 100 दर्ज कराकर एवं खसरा नम्बर 104 जो हाल जमाबंदी में किस्म बंजड सिवायचक दर्ज है। वो हाल नक्शा में ख.नं. 99 व 100 के स्थान पर दर्ज कराकर मुताबिक मौका कब्जा अनुसार दखलनामा व साबिक नक्शा लठठा अनुसार हाल नक्शा तितम्बा में दुरूस्ती किया जाकर जरिये अदालत राजस्व रिकार्ड नक्शा तितम्बा दुरूस्ती किये जाने योग्य है। एक वादीगण उक्तानुसार नक्शा तितम्बा में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। ना कोई उपस्थित हुआ ओर नाही जवाब पेश किया गया। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि हाल सैटलमेंट सम्वत 2060 में वादी की विवादित आराजी का तितम्बा मौका कब्जा व साबिक के खिलाफ काट दिया गया है जो हाल नक्शा से प्रमाणित है। खाता संख्या 229 आ.ख.नं. 101 रकबा 1.26 है0 आवटन हुआ है जिसका साबिक ख.नं. 84/8 मिन 05 बीघा का नम्बर कायम कर दखल नामा पर तितम्बा काटा गया है जो मिलान क्षेत्रफल व नकल दखलनामा से प्रमाणित है। अब वादीगण दखलनामा की पुश्त पर काटे गये तितम्बे के अनुसार हाल नक्शा लठठा में

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

तितम्बा दुरूस्त कराना चाहता हैं अतः तितम्बा दुरूस्त करने व दावा डिकी करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाकै ग्राम नांगलबानी के खाता संख्या 229 में अंकित आराजी के वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं उक्त विवादित हाल आ.ख.नं. 101 रकबा 1.26 है0 का साबिक ख.नं. 84/8 मिन 05 बीघा या जिसका हाल सैटलमैंट 2060 में तितम्बा काटते समय वादी के कब्जे व मौके के खिलाफ काट दिया गया है जिसको वादी नकल दखलनामा दिनांक 15.09.1975 की पुश्त पर काटे गऐ तितम्बे के अनुसार दुरूस्त कराना चाहता है। अतः दखलनामा की पुश्त पर काटे गऐ तितम्बे व हाल नक्शा लठठा में काटे गये तितम्बे में एक रूपता नही हैं इसलिए वादीगण का तितम्बा हाल नक्शा लठ्ठा में दखलनामा की पुश्त पर काटे गऐ तितम्बे अनुसार दुरूस्त कराना न्यायालय उचित समझता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी की विवादित आ. ख.नं. 101 रकबा 1.26 है वाकै ग्राम नांगलबानी का तितम्बा दखलनामा दिनांक 15.09.1975 की पुश्त पर काटे गये तितम्बे साबिक ख.नं. 84/8 मिन 05 बीघा अनुसार व मौका कब्जा अनुसार काटा जाकर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार थानागाजी तदनुसार हाल नक्शा लठठा में दुरूस्ती करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner